

स्वीकृति संख्या 5.2 वित्तीय वर्ष 2022-23
प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

विषय:- मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में ट्रोमा सेंटर के लिये वर्ष 2022-23 में उपकरण क्रय हेतु बजट प्रावधान के उपयोग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग:- चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर द्वारा प्रेषित पत्रांक 1295 दिनांक 28.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर द्वारा प्रासंगिक पत्र के अधीन मथुरादास माथुर चिकित्सालय जोधपुर में ट्रोमा सेंटर के निर्माण बाबत बजट घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में वर्ष 2022-23 में उपकरण क्रय हेतु बजट शीर्ष 4210-03-796-01-05-18-एमईटीपी (राज्य निधि) में उपलब्ध बजट प्रावधान राशि रु. 500.00 लाख का उपयोग ट्रोमा सेंटर के लिए उपकरण क्रय के बकाया दायित्वों का भुगतान एवं शेष रहे उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु उपयोग किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम अनुमोदन उपरान्त निम्न शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर द्वारा उपकरण क्रय किये जाने से पूर्व उपलब्ध उपकरणों के आधार पर गैप एनालाईसिस किया जाकर राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट/नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए किया जावे।

- 28 -

(गौरवचतुर्वेदी)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक:- 28/06/2022

प.9(2)डीएमई/बजट घोषणा/ट्रोमा अस्पताल/जोधपुर/2017/2794
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा-1) राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1)/आयोजना विभाग, राज. जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग, जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर।
9. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, कमरा नं. 98 ए.शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आयोजना), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
11. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
12. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.)

एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव